<u>अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-III</u>

ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम

(पीएलआई-ऑटो अथवा 'स्कीम')

दिनांक: 11 मई, 2022

1. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-II (दिनांक 22.12.2021) प्रश्न संख्या 20 (चरण-II) के उत्तर को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

*"परीक्षण एजेंसी (टीए) द्वारा न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) का प्रमाणन वास्तविक लागत के आधार अथवा बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहनों (एक्स-फैक्ट्री) के मूल्य के अधिकतम 25% तक सेल (**Cell**) के मूल्य (बैटरी पावर पैक की असेंबली के लिए आवश्यक) को छोड़कर सामग्री के बीजक बिल/लागत बिल (बीओएम) के आधार पर होगा और यह भारत में पीएलआई एसीसी स्कीम के अंतर्गत एसीसी विनिर्माण केंद्रों की स्थापना होने तक मान्य रहेगा। अनुमोदित आवेदक बाहरी लेखापरीक्षक (लागत या सनदी लेखाकार) द्वारा लेखापरीक्षित घरेलू मूल्य वर्धन प्रमाण-पत्र को विधिवत रूप से प्रस्तुत करेगा और निर्धारित प्रारूप में पीएलआई ऑटो पोर्टल के माध्यम से अनुमोदित आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्व-प्रमाणित होगा।"*

2. अनुमोदित आवेदक शुरूआत में परीक्षण एजेंसी (टीए) द्वारा न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य वर्धन (डीवीए) के प्रमाणन के लिए निर्धारित प्रारूप में पीएलआई ऑटो पोर्टल के माध्यम से घरेलू मूल्य वर्धन (डीवीए) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। अनुमोदित आवेदक को पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत डीवीए प्रमाण-पत्र को पुनः प्रस्तुत करना कब आवश्यक होगा?

उत्तर: परीक्षण एजेंसी (टीए) द्वारा न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) का प्रमाणन जारी किए जाने के बाद, अनुमोदित आवेदक को बाहरी लेखापरीक्षक (लागत या चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा लेखापरीक्षित डीवीए प्रमाण-पत्र को पुनः प्रस्तुत करना होगा और जब कभी चयनित एएटी उत्पादों के लिए डीवीए को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली आपूर्ति श्रृंखला में कोई परिवर्तन होता है तो इसका स्व-प्रमाणन किया जाना होगा।

इसके अतिरिक्त, एएटी उत्पादों का पुनः सत्यापन अथवा आवधिक निगरानी मूल्यांकन संबंधित प्रमाण-पत्र जारी करने वाली परीक्षण एजेंसी द्वारा वार्षिक रूप से अथवा आवश्यकतानुसार उत्पादन क्रम से रैंडम नमूनों का चयन करके किया जाएगा। पुन: सत्यापन या आवधिक निगरानी के दौरान परिकलित डीवीए के प्रतिशत (%) का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाएगा कि संबंधित एएटी उत्पाद न्यूनतम 50% डीवीए की आवश्यकता को अब भी पूर्ण कर रहा है अथवा नहीं।

3. ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें किसी भी अनुमोदित आवेदक को शुरूआत में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण एजेंसी (टीए) द्वारा न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) जारी किया गया हो। तत्पश्चात, आपूर्ति श्रृंखला में कोई सार्थक परिवर्तन किए बिना, संबंधित एएटी उत्पादों के डीवीए में कमी आई है, जो मुख्य रूप से निर्धारित समय में अपरिष्कृत माल की कीमतों और/अथवा मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण है। इन मामलों में, क्या 50% डीवीए का प्रारंभिक प्रमाणन पीएलआई स्कीम में मान्य रहेगा?

उत्तर: इन मामलों में, परीक्षण एजेंसी (टीए) द्वारा किया गया 50% या उससे अधिक डीवीए का प्रारंभिक मूल्यांकन पीएलआई स्कीम में मान्य रहेगा, बशर्ते प्रारंभिक मूल्यांकन अनुमोदन के संबंध में अनुमोदित आवेदक द्वारा आपूर्ति श्रृंखला में कोई सार्थक परिवर्तन न किया गया हो।

***